

# एलएन स्टार

संस्थापक : स्व. सुरेश कुमार चौकसे

वर्ष 3, अंक 175

भोपाल, शुक्रवार 13 अक्टूबर 2017

मूल्य 3 ₹ पृष्ठ 12

आर.एन.ए.ई., रजि. क्रमांक MP/IN/2015/64419

केवल हिंदुत्व में ही हस्तक्षेप न्यायालय श्रीमान का!!

संवाद 4

## ...वरना आप ही हो जाएं दुःखी

एक पुरानी तस्वीर निकाल लीजिए। वह 16 मई, 2008 से पहले की होनी चाहिए। उसका मिला नमूना नहीं है। क्योंकि वह तस्वीर अमर्षित तलवार, राजेश और नुपुर तलवार की है। नौ साल से इस परिवार को लेकर मीडिया रह-रहकर सक्रिय रहा। इससे साफ है कि इस परिवार को पुरानी तस्वीर कहीं न कहीं दर्ज की गई होगी। उस तस्वीर में से आरुषि का चेहरा हटा दिया। सिर्फ उसके पिता राजेश को दिखाए। देखाए उसका मां नुपुर को। दोनों खिलाड़ियों हुए दिखेंगे। ऊर्जा से लबरेज। शांति से पूर्ण। दिल्ली की आपाधापी से भरी जिनकी वे बीच इकलौती बेटी के मुख का पूर्ण आंद उठाते हुए। इसी तस्वीर को लेकर कल टीवी चैनल के सामने बैठाए। आपकी उस पर गांधीवादा की डराना जेल से निकलते राजेश और नुपुर नगर आये। तुलना कीजिए कि मई के 2008 के पहले की तस्वीर का 13 अक्टूबर, 2017 की तस्वीर से किस तरह भयावह अंतर है। यह अंतर प्रकृति ने नहीं पेटा किया। इसे पेटा किया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो वानि सीबीआई द्वारा। आरुषि हत्याकांड की जांच करने वाले उस एक-एक शब्द द्वारा जो शुरू से ही राजेश तथा नुपुर को दोषी मानकर चल रहा था। यह फर्क पतापाया है न्याय व्यवस्था के उन अंतर्गत सुझावों ने भी, जिनके जरिए बीते नौ साल से राजेश तथा नुपुर की अमानुही के तमाम तथ्य रिसेत वगैरे गए।

आरुषि के माता-पिता को इलाहाबाद की उच्च न्यायालय ने इस सनसनीखेज हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। उन्हें सॉफ्ट का लान दिया गया। क्योंकि सीबीआई अपने लघु सभूतों के चलते इस अदालत के सामने यह साबित ही नहीं कर सकी कि दरअसल तलवार दंपति ने ही बेटी और नौकर हेमराज का कत्ल किया था। देश की शोषण जांच संस्था के गाल पर उच्च न्यायालय से तमाचा पड़ा।

कोर्ट ने साफ कहा कि सीबीआई की विवेचना तथा सभूतों से यह संतुष्ट नहीं है। यह असंतुष्ट इस स्तर की थी कि सीबीआई कल ताल ठोककर जिस दंपति को दोषी कह रही थी, उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन यह गलतफहमी कदाई मत पालिए। यह तलवार दंपति के बुरे दिनों के अंत को शुद्धांत है। यह उन्हे अमंगल की कामना नहीं है। लेकिन तब भी यह है कि इस दंपति के अखंडे दिन अंतर्काल के लिए कहीं जा चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश उन्हे कोर्ट की चारदीवारी से बाहर ले आया, लेकिन क्या यह वह दिन वापस ला सकता है, जो वह सभ्य समाज के बीच किसी सभ्य चेहरे के तौर पर बिता रहे थे? कल्पना कीजिए उन माता-पिता की, जो अपनी बेटी की निर्मम हत्या पर ठीक से विलाप भी नहीं कर पाए और उससे पहले ही शक, आरोप और किसी पड़चूर को तरफ प्रतीत होनी विवेचना के शिकार हो गए। सीबीआई ने तलवार दंपति को न्याय दिनामा तो दूर, ठीक से शोकाकुल माता-पिता होने का अवसर तक नहीं दिया। उन्हें आरोपी बनाया। दोषी साबित किया। जेल की सलाखों के पीछे फंसे हुए। नौ साल तक खूब को बेवजह बताते-बनाते राजेश और नुपुर का जीवन उख शायद ही कम सामान हो सके। हाँ, सीबीआई के लिए सच कुछ सामान्य ही रहेगा। 16 मई, 2008 से पहले और 12 अक्टूबर, 2017 के बाद की तरह तक ही। संभव है कि राजेश तथा नुपुर को जीवन के सबसे बुरे दिन देने वाले सीबीआई के किसी जिम्मेदार से आपका पाले हुए जाए। राजेश और नुपुर की नौ साल से पहले वाली और जेल से बाहर निकलते समय की तस्वीर उसे जरूर दिखिए। यदि उन्हे देखकर उसके चेहरे पर क्लिष्टता मात्र भी दुःख दिखे तो ठीक है। वरना तलवार के हालात पर कभी से कम आप खूब खी-खी दुःख प्रकट कर यह साबित कर दीजिए कि कहीं न कहीं ईमान अभी जिवंद है।

## झेलम एक्सप्रेस में बम की अफवाह

गुम फोन का इस्तेमाल कर की गई शरारत

देस्क/एजेंसी। विदिशा

पुणे से जम्मूतवी जा रही झेलम एक्सप्रेस में बम की अफवाह के कारण मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के जंम वासीयों में ट्रेन को खाली करा कर साढ़े पांच घंटे तक तलाशी ली गई। पुलिस सूरजे के अनुसार आज सुबह 11 बजे झरसी के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में किसी ने फोन कर सूचना दी कि झेलम एक्सप्रेस में बम रखा है। सूचना मिलते ही जंम वासीयों रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोक कर खाली करवा गया। स्थानीय पुलिस बल, रेलवे पुलिस बल, शासकीय रेलवे पुलिस के साथ ही विदिशा और बीना से कुलपुत्रे

विशेष जांच दल, डींग स्कॉड ने मिलकर ट्रेन को तलाशी शुरू की। मौके पर विदिशा के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर भी पहुंच गए थे। विदिशा के पुलिस अधीक्षक विनीत कपूर ने बताया कि 12 बजे से शुरू हुई सर्चिंग शाम लगभग साढ़े पांच बजे तक चली। जांच में कुछ नहीं मिला। उन्होंने बताया जांच में पाया गया कि बलितपुर निवासी दुर्जन सिंह का मोबाइल फोन 10 दिन पूर्व गुम हो गया था। उसी फोन से अज्ञात व्यक्ति ने ट्रेन में बम होने की सूचना दी थी। मोबाइल नम्बर धारक दुर्जन सिंह को गिरफ्तार कर बीना पुलिस पछुताकर कर रही है।

## हिमाचल प्रदेश का चुनाव घोषित, 136 केंद्रों की कमान केवल हर बूथ पर ईवीएम के साथ वीवीपैट

देस्क/एजेंसी। नई दिल्ली।

खुबसूरत चाँदियों वाले हिमाचल प्रदेश में चुनावी हलचल शुरूवार से तेज हो गई। देश के चुनाव आयोग ने यहां विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। हालांकि आयोग ने फिलहाल गुजरते के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया है। इसके साथ ही हिमाचल में आचार संहिता लागू हो गई है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सभी 68 सीटों के लिए चुनाव एक चरण में 9 नवम्बर को होगा और मतगणना 18 दिसम्बर को होगी। मुख्य आयुक्त एफे जौति ने आज यह संवाददाता सम्मेलन यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश



वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल किया जायेगा, जिससे मतदाता यह देख सकेंगे कि उनमें किस उम्मीदवार के नाम का बटन दबाया है वोट उसी को मिला है। उन्होंने कहा कि सभी 68 सीटों पर एक-एक मतदान केंद्र के वीवीपैट से निकलने वाली पंचियों की भी गिनती की जायेगी और उसका मिलान उस मतदान केंद्र पर पड़े वोटों से किया जायेगा। जौति ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में तकाल प्रभाव से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होगी है। चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किये गये हैं और राज्य पुलिस के साथ साथ अर्द्धसैनिक बलों की बड़ी

संख्या में नैनाती की जायेगी। उन्होंने कहा कि 136 मतदान केंद्रों पर केवल महिला चुनावकर्मी ही नैनात होंगी। आयोग ने आज गुजरते विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया लेकिन कहा कि वहां 18 दिसम्बर से पहले चुनाव कराये जायेंगे, जिससे कि दोनों राज्या में चुनाव की गिनती एक साथ हो सके। हम बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इस प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ही पार्टी के लिए सोपान पद के प्रथम श्रेणी होंगे। हाल ही में गांधी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस प्रदेश में आमनासमा लेकर चुनावी तैयारियों का शंखवाज कर चुके हैं। भाजपा ने फिलहाल यहां किसी चेहरे को पार्टी मुख्यांश के रूप में पेश नहीं किया है।

## कोर्ट ने कहा- तलवार दंपति ने नहीं मारा बेटी आरुषि को, सीबीआई जांच पर सवाल

# आरोपी बरी, सच अब भी 'कैद'

देस्क। इलाहाबाद

एक अहम फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरुषि तलवार हत्याकांड में मुतक के पिता राजेश तलवार तथा मां नुपुर को हत्या का दोषी मानने से इनकार करते हुए बरी कर दिया है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि फिर आरुषि की हत्या किसने की थी।

अदालत का यह फैसला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उसने ही आरुषि तथा उसके घर के नौकर हेमराज को ही हत्या की जांच की थी। इसके बाद उन्हे राजेश एवं नुपुर को हत्या का दोषी बताया था। सीबीआई को ही एक अदालत ने नुपुर दंपति को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इनके खिलाफ तलवार दंपति ने हाईकोर्ट की शरण ली।



आरुषि तलवार

इसके साथ ही सारे देश को हिला देने वाले इस कोड को लेकर रहस्य गहरा गया है। सीबीआई की दलील थी कि तलवार दंपति ने आरुषि तथा हेमराज को आपत्तजनक हालात में देख लिया था। इसके चलते उनका कत्ल कर दिया गया। आरुषि का शिव उसके बेहकूम में मिला था। जबकि हेमराज की लाश बिल्डिंग को छत पर

ऐसा रहा हाल फैसला आने से पहले तलवार दंपती काफी परेशान थे। जेल में बंद राजेश और नुपुर तलवार को रात में नींद नहीं आती। दोनों ने खूब का नारा भी नहीं किया। बहाना था कि जेल में बहुत ही बेहतर सेक्योरिटी के दौरान उनका स्टूड प्रेजर भी बंद हुआ था। तलवार दंपति ने डराना जेल से ही टीवी के जरिए फैसला सुना। जेल सूरजे के मुताबिक आम दिनों की तुलना में नुपुर ने दूसरे कैदियों से बातचीत नहीं की और मुश्किल बेटी रही।

तलवार दंपति सजा सुनाए जाने के बाद से गांधीवादा को डराना का जेल में बंद है। वहां के जेलर ने एक न्यून चैनल की बताया कि अदालत के फैसले के बाद आरोपियों ने कहा है कि अंततः सच की जित हो गई है। 16 मई, 2008 को आरुषि को उसके बेहकूम में मृत पाया गया था। उसका गला रेतकर हत्या की गई थी। शुरुआत में परेल् नौकर 45 वर्षीय हेमराज पर ही आरुषि के मर्डर का शक था, लेकिन अगले ही दिन जवाबवुद विहार के उसी मकान की छत पर हेमराज का भी शव मिला। इसके बाद पुलिस की जांच की हुई आरुषि के माता-पिता तलवार दंपति पर ही घूम गई। पुलिस ने कहा था कि आरुषि और हेमराज को आपत्तजनक स्थिति में पाए जाने के बाद पिता राजेश तलवार ने ही दोनों की हत्या कर दी थी। बिना किसी परिसर जांच और मैट्रियल एविडेंस के इस तरह के आरोप लगाए जाने से गुस्ताफ तलवार दंपति ने पुलिस पर जांच को भटकाने

का आरोप लगाया था। आरुषि की हत्या के एक सप्ताह बाद ही राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। जमानत पर रिहा होने से पहले वह 60 दिनों तक जेल में रहे थे।

## गुजरात में उमा का सवाल- किसने भड़काया था गोडसे को नुपुर

## सियासत

# 'गांधी की हत्या से सिर्फ कांग्रेस को लाभ'

देस्क/एजेंसी। पलनपुर (गुजरात)

केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा की फायरब्रैंड महिला नेता उमा भारती ने आज एक और विचारसत्र बयान देते हुए कहा कि महात्मा गांधी की हत्या से सिर्फ कांग्रेस को लाभ हुआ और यह निचाराणीय है कि गोडसे को उनके खिलाफ और उनकी हत्या के लिए किसने उकसाया था।



उमा भारती

उन्होंने यह भी कहा कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की यह आज तक स्पष्ट नहीं है और उसे उनके खिलाफ करने तथा उकसाने का काम क्या वही कर सकता था जिसे गांधी जी के जीने से नुकसान अथवा खतरा हो और ऐसा कांग्रेस के साथ ही था।

उन्होंने कहा, गांधी जी की हत्या से सिर्फ कांग्रेस को ही लाभ हुआ क्योंकि तब गांधीजी का कांग्रेस से मोड़भंग हो चुका था और वह सार्वजनिक रूप से इसको विवर्णित करने की चर्चा कर रहे थे। इसलिए यह तो आज भी विचार का विषय है कि गोडसे को उनके खिलाफ किसने भड़काया। क्योंकि गांधी जी की हत्या को बात वहीं सच सकता था जिसे उनके जीने से खतरा हो और ऐसा कांग्रेस के साथ था। सुश्री भारती ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सरकार बनने के बाद से गांधी जी विचारधारा को फिर से स्थापित का प्रयास हो रहा है।

एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह भी कहा कि मोदी ने देश में सेकुलरिज्म यात धर्म निरपेक्षता को नया अर्थ दिया है। नेहरू जी के समय से इसका एक ही अर्थ निकाला जाता था जिसे यामपथियों ने भी बढ़ावा दिया और वह था हिन्दुओं से नकरत। अब

श्री मोदी ने सभी धर्मों के आर के तौर पर इसे नया अर्थ दिया है और इसी के चलते एक कांग्रेस (इसके उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर परोक्ष संकेत करते हुए) को भी मांरों के के चक्कर लगाए पड़ रहे हैं।

गुजरात चुनाव की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने भाजपा को 150 सीटें मिलने की बात कही है। पर उन्हें तो 160 से भी ज्यादा (कुल 182 में) सीटें मिलती दिख रही हैं। उमा ने कटुता करते हुए कहा, 'गुजरात चुनाव में कांग्रेस को हालत कटी पतंग जैसी हो जायेगी।' एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह राहुल गांधी के किसी बयान के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि उनके नेतृत्व में कांग्रेस की बदहाली ही बहुत कुछ कह रहे हैं। मीडिया ने उमा से गांधी के उस बयान पर टिप्पणी मांगी थी, जिसमें उन्होंने आरएसएस में महिलाओं के न होने को भाजपा के महिला सशक्तिकरण का सच बताया था।

## हरमिंदर साहेब में मारपीट से तनाव

अमृतसर।

अमृतसर के पवित्र हरमिंदर साहेब के दरबार साहेब में एक जलवादी के बीच संघर्ष के बाद तनाव व्याप्त हो गया। सबसे तलवार द्वारा नियुक्त अकाल तख्त साहेब के जलवादी के सामने पेशी के लिए आए गुरुद्वारा छोटा घल्लूधारा के गुरुद्वारा साहेब जीहर सिंह को नुकसान हुआ। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के कार्य बल ने बलपूर्वक बाहर निकाल दिया। क्योंकि उसी को इस कार्यबल से गलतपत्र में जम कर धक्का मुक्का हुई। मास्टर जीहर सिंह जब जलवादी के सामने पेश होने के लिए श्री दरबार साहेब के प्रोग्राम में पहुंचे, तो उन्हें अंतर जाने से रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ, लेकिन किसी प्रकार का कोई

नुकसान नहीं हुआ है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के कार्यबल का कहना था कि सबका खालसा द्वारा नियुक्त किए गए जलवादी आंधिकारियों हैं। इसलिए मास्टर जीहर सिंह को उनके सामने पेश नहीं होना चाहिए। इस बीच पंजीपीतों से धावपत्र सिंह ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को भी शरीर पर बांधकर साहब का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि मास्टर जीहर सिंह को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के कार्यबल ने बलपूर्वक बाहर निकाल दिया। सुरक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ाया जायेगा। धक्का-मुक्का के दौरान दो लोग मालूमूरी रूप से घायल हो गए।